

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर

:- आदेश :-

कमांक / / 2025

जबलपुर, दिनांक- 31.07.2025

माह अगस्त 2025 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती दीपा पॉल	01.08.2025	12	श्रीमती पलक श्रीवास्तव	19.08.2025
2	सुश्री रेणु खेस	04.08.2025	13	सुश्री किरण वर्मा	20.08.2025
3	श्री प्रियम सक्सेना	05.08.2025	14	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	21.08.2025
4	सुश्री रितिका विजय श्रीवास्तव	06.08.2025	15	श्री स्वास्तिक सावंत	22.08.2025
5	श्री कमलेश बरमनिया	07.08.2025	16	सुश्री ऋचा बठेजा	23.08.2025
6	श्री भरत परमार	08.08.2025	17	सुश्री श्रद्धा पटेल	25.08.2025
7	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	11.08.2025	18	सुश्री निर्मला पटेल	26.08.2025
8	श्रीमती हर्षिता जैन	12.08.2025	19	सुश्री निशा कुशवाहा	28.08.2025
9	श्री किशनदेव पटेल	13.08.2025	20	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	29.08.2025
10	श्रीमती वंदना सिंह	14.08.2025	21	श्री फरहान मसूद कुरैशी	30.08.2025
11	श्री राहुल छत्री	18.08.2025			

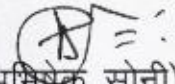
उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **श्रीमती दीपा पॉल** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेंगी एवं यदि किन्ही कारणवश **श्रीमती दीपा पॉल** जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री अंजली राय** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेंगी यदि किन्ही कारणवश **सुश्री अंजली राय** जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **श्री राहुल छत्री** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेंगे।

sd-
(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, (माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित ।
- 2- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से

- संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे ।
- 3- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें ।
- 4- जूनियर सिस्टम एनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित ।


(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर